न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—47 / 20 (2020 / 00123) वाद पत्र

अनवान

1. हजारी आत्मज गोकल गुर्जर निवासी मोटरा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. जग्गु आत्मज गोकल गुर्जर निवासी मोटरा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. शंकरलाल आत्मज नारायणदास वैष्णव नि0 मोटरा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. पारस आत्मज गिरधारी गुर्जर निवासी मोटरा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. धन्नी पत्नि लाखा गुर्जर निवासी मोटरा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. लच्छु आत्मज कालु गुर्जर निवासी मोटरा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 183, 179, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति

1. हरिश टेलर — प्राथीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 21.01.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मोटरा का खेड़ा पटवार हल्का नाथड़ियास तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2682 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 2685 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 2686 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 2687 रकबा 0.43 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.87 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 136 पर दर्ज होकर एवं आराजी संख्या 2613 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 2614 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 2615 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 2616 रकबा 0.43 है0, आराजी संख्या 2617 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 2618 रकबा 0.23 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 0.81 है0 भूमि खाता संख्या 137 पर दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत 2070 से 2073 तक साथ प्रस्तुत की है। वादीगण की उक्त आराजियात के पास प्रतिवादीगण की आराजियात भी स्थित है। प्रतिवादीगण सीमा सम्बन्धी विवाद करने लग गये जिससे प्रार्थीगण ने स्वयं के खातेदारी की उक्त आरायिजात की पत्थरगढ़ी का प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान् में प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 27 / 2019 होकर हजारी बनाम नारायण वगैरा है। वादीगण को उक्त आराजियात मे से आराजी संख्या 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2682, 2685, 2586, 2687 पर फर्दन फर्दन बलात आधिपत्य कर कब्जा कर लिया जिससे वादीगण प्रार्थीगण के विरूद्व कब्जेयापी की डिकी जारी कराने का अधिकारी है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 13.06.2019 को स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान किया गया उक्त आदेश की पालना में गिरदावर व पटवारी हल्का द्वारा पत्थरगढ़ी मौके पर की गई उसमें भी वादीगण की आराजी संख्या 2614 रकबा 0.02 है0 पर प्रतिवादी संख्या 1 व आराजी संख्या 2615 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 2682 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 2685 रकबा 0.07 है0, आराजी [illegible] 2686 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 2687 रकबा 0.43 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.9[illegible] है0 पर प्रतिवादी संख्या 2 का तथा आराजी संख्या 2617 रकबा 0.07 है0 पर प्रतिवादी संख्या 3 का व आराजी संख्या 2618 रकबा 0.23 है0 पर प्रतिवादी संख्या 4 का बलात आधिपत्य [illegible] उक्त आराजि[illegible]र वादीगण खातेदार है। प्रतिवादीगण को उक्त भूमि पर कब्जा करने का [illegible] अधिकार नही है जि[illegible] प्रतिवादीगण उक्त भूमियों पर अतिकमी है। वादीगण कब्जेयाबी की डिकी जारी करवा पुनः कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः वादीगण की सादर प्रार्थना है कि कब्जेयाबी की डिकी बहस वादीगण विरूद्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.01.30 17:46:16 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि उक्त वर्णित वादीगण की आराजी संख्या 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2682, 2685, 2686, 2687 पर प्रतिवादीगण उनका बलात आधिपत्य हटाकर कब्जा वादीगण को सिपूर्द करे व ऐसा नही करने पर न्यायालय के मार्फत प्रतिवादीगण को उक्त भूमियों से बेदखल कर कब्जा वादीगण को सिर्पूद कराया जावें साथ ही प्रतिवादीगण पर वादग्रस्त भूमि की लगान की 50 गुणा शास्ति आरोपित कर वादीगण को दिलवाई जावे व प्रतिवादी से विशेष हर्जा खर्चा दिलाते हुए बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री फरमाई जावे कि वादग्रस्त भूमियों पर प्रतिवादी किसी प्रकार का कोई निमार्ण न तो स्वयं न अन्य से करावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को समन जारी किया गया। समन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 बावजुद सूचना के उपस्थिति नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

वादी अधिवक्ता द्वारा अपने वाद के समर्थन में वादी के बयान कराये गये तथा रेकार्ड प्रदर्शित कराया गया और अन्त में दोराने बहस वाद वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वाद में डिक्री जारी करने का निवेदन किया गया।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड पर मनन किया तो पाया कि वादी वादवर्णित आराजियात के खातेदार कृषक है जिसमें विपक्षीगणो का राजस्व रेकार्ड में कोई नाम नही है वादी द्वारा प्रकरण में वर्णित आराजियात की पत्थरगढ़ी करायी गई पत्थरगढ़ी के पर्चे मौके में विपक्षीगण का मौके पर कब्जा होना पाया गया। विपक्षीगण द्वारा बावजुद सूचना अपना पक्ष प्रस्तुत नही किया। वादी द्वारा धारा 183 के तहत् कब्जा लेने की जो राहत चाही गई है वो प्रमाणित होने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मोटरा का खेड़ा पटवार हल्का नाथड़ियास के आराजी संख्या 2614 रकबा 0.02 है0 पर प्रतिवादी संख्या 1 व आराजी संख्या 2615 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 2682 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 2685 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 2686 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 2687 रकबा 0.43 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.91 है0 पर प्रतिवादी संख्या 2 का तथा आराजी संख्या 2617 रकबा 0.07 है0 पर प्रतिवादी संख्या 3 का व आराजी संख्या 2618 रकबा 0.23 है0 पर प्रतिवादी संख्या 4 का अवैध कब्जा पाया जाने से उक्त भूमि से विपक्षीगणो को बेदखल कर वादी खातेदार को कब्जा सिपूर्द किया जावे। वादी की उक्त वर्णित भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे इसी आशय की डिक्री जारी हो। पालनार्थ हेतु तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21.1.2021

सुन्दरलाल बम्बोडा
कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.01.30 17:46:16 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–47/20 (2020/00123) वाद पत्र

अनवान

1. हजारी आत्मज गोकल गुर्जर निवासी मोटरा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. जग्गु आत्मज गोकल गुर्जर निवासी मोटरा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. शंकरलाल आत्मज नारायणदास वैष्णव नि0 मोटरा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. पारस आत्मज गिरधारी गुर्जर निवासी मोटरा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. धन्नी पत्नि लाखा गुर्जर निवासी मोटरा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. लच्छु आत्मज कालु गुर्जर निवासी मोटरा का खेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 183, 179, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 188 बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मोटरा का खेड़ा पटवार हल्का नाथड़ियास के आराजी संख्या 2614 रकबा 0.02 है0 पर प्रतिवादी संख्या 1 व आराजी संख्या 2615 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 2682 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 2685 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 2686 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 2687 रकबा 0.43 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.91 है0 पर प्रतिवादी संख्या 2 का तथा आराजी संख्या 2617 रकबा 0.07 है0 पर प्रतिवादी संख्या 3 का व आराजी संख्या 2618 रकबा 0.23 है0 पर प्रतिवादी संख्या 4 का अवैध कब्जा पाया जाने से उक्त भूमि से विपक्षीगणो को बेदखल कर वादी खातेदार को कब्जा सिपूर्द किया जावे। वादी की उक्त वर्णित भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे इसी आशय की डिक्री जारी हो। पालनार्थ हेतु तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

21-01-2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.01.30 17:46:16 IST
Reason: SelfAttested